

GRAM: JIVABANDHU

Phone : 04424571025

04424571024

Fax : 04424571016



ANIMAL WELFARE BOARD OF INDIA

(Ministry of Environment and Forests, Govt. of India)

Post Box No. 8672

13/1, Third Seaward Road, Valmiki Nagar, Thiruvannamipur, Chennai - 600 041

Email : awbi@md3.vsnl.net.in Website: www.awbi.org

Ref. No. 10-10/2013-14/AWO

November 29, 2013

To

All Recognized AWOs/SPCAs

Sir/Madam,

Sub: Consideration of application for Financial Assistance under Regular Grant – reg.

The Board has decided that the applications for Regular Grant will not be processed for consideration of grant unless the Utilization Certificate for earlier grant is furnished by the AWOs and in future no conditional sanction will be issued.

It is therefore requested that at the time of submission of application for Regular Grant please ensure that Utilization Certificate and Audited Accounts, if any, pending against the grant-in-aid released under the schemes of AWBI should be submitted to the Board immediately, to enable the Board to process your application for consideration of further grant.

The application for Regular Grant for the year 2013-14 can be obtained from our Website and submit to the Board office at Chennai directly along with the required documents so that the Board can consider the same.

Yours faithfully,

(S. Uma Rani)
Secretary

ग्राम: जीवबन्धु



Phone: 04424571025
04424571024
Fax : 04424571016

भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड

(पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार)

पोस्ट बॉक्स नं. 8672

13/1, थर्ड सीवार्ड रोड, वाल्मीकि नगर, तिरुवान्मियूर, चेन्नई - 600 041
ईमेल: awbi@md3.vsnl.net.in वेबसाइट: www.awbi.org

सं010-10/2013-14/जी.ज.क.सं.

दिनांक: 29.11.2013

सेवा में,
सभी मान्यता प्राप्त जीव-जन्तु कल्याण संस्थाएँ

महोदय/महोदया,

विषय: वित्तीय (नियमित अनुदान) सहायता के लिए आवेदन करने के सम्बन्ध में।

भारतीय जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड ने निर्णय लिया है कि जिन संस्थाओं ने पुराने वर्षों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र बोर्ड को नहीं भिजवाया है, उन संस्थाओं को भविष्य में वित्तीय (नियमित अनुदान) सहायता के आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया है कि भविष्य में इस प्रकार की किसी भी संस्था को शर्तबन्ध स्वीकृति-पत्र भी नहीं भेजा जाएगा।

इसलिए आपसे निवेदन है कि वित्तीय सहायता आवेदन-पत्र भेजने से पहले यह सुनिश्चित करें कि बोर्ड से प्राप्त किसी भी योजना में प्राप्त अनुदान का कोई भी उपयोगिता प्रमाण-पत्र अथवा ऑडिट लेखा विवरण यदि बाकी है तो उसे तत्काल भेजकर लेखों का समायोजन करा लें, ताकि आपके अगले प्रपत्रों पर कार्यवाही की जा सके।

वर्ष 2013-14 का वित्तीय (नियमित अनुदान) सहायता आवेदन-पत्र बोर्ड की वेबसाइट से भी प्राप्त किया जा सकता है और सीधे बोर्ड कार्यालय, चेन्नई को सभी दस्तावेजों के साथ भिजवाया जा सकता है। ताकि उस पर विचार किया जा सके।

भवदीय,

(एस. उमा रानी)
सचिव